

बिहार सरकार
राज्य आयुक्त निःशक्तता (दिव्यांगजन) का कार्यालय,
पुराना सचिवालय, सिंचाई भवन परिसर, पटना।
फोन नं०-0612-2215041, email-scdisability2008@gmail.com
www.scdisabilities.org

पत्रांक-सं०-09/रा०आ०नि०(विधि)-09/2018-188/शा०नि०प्र०

दिनांक-15 फरवरी 2021

प्रेषक,

डॉ० शिवाजी कुमार,
राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।

सेवा में,

1. श्री बी०के० सिन्हा,
अध्यक्ष, बिहार राज्य उत्पादकता परिषद,
इन्डस्ट्री हाऊस, सिन्हा लाइब्रेरी रोड, पटना-1
2. सचिव/अध्यक्ष,
दिव्यांग प्रक्षेत्र में कार्यरत गैरसरकारी स्वयंसेवी संस्थान,
(राज्य आयुक्त निःशक्तता कार्यालय से निबंधित)
3. दिव्यांगजनों के लिए गठित अनुश्रवण कमिटी (दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा-72 के अन्तर्गत) के अध्यक्ष/सचिव एवं सदस्य।

विषय :-

दिनांक-20.02.2021 (शनिवार) को विश्व सामाजिक न्याय दिवस (World day of Social Justice) तथा उत्पादकता सप्ताह वर्ष 2021 के अवसर पर आत्मनिर्भर भारत अभियान व दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के परिपोषण में दिव्यांगजनों के लिए नियोजन व स्वनियोजन के अवसरों में विस्तार हेतु इनके उत्पादकता वृद्धि एवं अनुषंगी विषयों पर बिहार राज्य उत्पादकता परिषद के सहयोग से कार्यशाला के आयोजन के सम्बन्ध में।

उत्पादकता सप्ताह वर्ष 2021 की थीम : Productivity & Management in Disabled Humans Supporting to Atamnirbhar Bharat

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि प्रत्येक वर्ष 20 फरवरी विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है। सामाजिक न्याय की बुनियाद सभी मनुष्यों के समान मनाने के आग्रह पर आधारित है। सामाजिक न्याय विविध विविधताओं यथा लिंग, आयु, नस्ल, जातीयता, धर्म संस्कृति या दिव्यांगता के कारण होने वाली बाधाओं को दूर कर ही परिपोषित किया जा सकता है। समान आर्थिक अधिकार व अवसरों की समानता इसका एक महत्वपूर्ण पहलू है। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा व्यापक स्तर पर 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' उपलब्ध संसाधनों के समुचित व सार्थक उपयोग द्वारा सबों को आर्थिक रूप से स्वनिर्भर बनाए जाने के उद्देश्य से कार्यान्वित है।

आत्मनिर्भर भारत अभियान के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि कोविड-19 के कारण उपजी महामारी एवं लॉकडाउन के दौरान दिनांक-12.05.2020 को माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा राष्ट्र को किए गए संबोधन में आत्मनिर्भर भारत अभियान के अन्तर्गत तत्समय उपस्थित आर्थिक विषम परिस्थितियों के निवारण के लिए बीस ट्रिलियन रुपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई थी। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का संदेश था कि यह आर्थिक पैकेज भारत को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा तथा श्रमिकों, किसानों, कर्जदाताओं, मध्यम लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों तथा कुटीर उद्योगों को अपेक्षित लाभ पहुंचाएगा। 21वीं सदी भारत की हो, इसके लिए भारत को आत्मनिर्भर बनाना ही एकमात्र रास्ता है। आत्मनिर्भर भारत महात्मा गाँधी जी का सपना था और वर्तमान में वह समय है, जिसमें हम इस सपने को साकार कर सकते हैं।

क०प०उ०.....

अन्य के साथ दिव्यांगजनों के सम्बन्ध में इसके समुचित कार्यान्वयन के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं। आर्थिक अवसरों की समानता के सम्बन्ध में दिव्यांगजनों के समक्ष आने वाली बाधाओं के सरकार व समाज के स्तर पर दूर किया जाना एक पहलू है तथा दिव्यांगजनों को उपलब्ध आर्थिक अवसरों की संख्या में वृद्धि करना एवं इनके उपयोग/लाभ प्राप्त करने हेतु सक्षम बनाना इसका दूसरा पहलू है।

उपलब्ध आर्थिक अवसरों की संख्या में वृद्धि करने एवं इन अवसरों के लाभ उठाने की सक्षमता हेतु दिव्यांगजनों की उत्पादकता (Productivity) बढ़ाए जाने की आवश्यकता है।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अध्याय-4 (कौशल विकास और नियोजन) धारा-19(1) में प्रावधान है कि राज्य सरकार दिव्यांगजनों के लिए नियोजन, विशेषकर उनके व्यावसायिक प्रशिक्षण और स्वनियोजन को सुकर बनाने और उसमें सहायता करने के लिए जिसके अन्तर्गत रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराना भी है, स्कीम और कार्यक्रम बनाएगी।

दिव्यांगजनों की उत्पादकता में वृद्धि के द्वारा उनकी आर्थिक उन्नति व बेहतर जीवन स्तर सुनिश्चित कर आत्मनिर्भर भारत अभियान को बेहतर ढंग से कार्यान्वित किया जा सकता है। इसी क्रम में Bihar State Productivity Council, Patna द्वारा उत्पादकता सप्ताह 2021 के थीम के रूप Productivity & Management in Disabled Humans Supporting to Atamnirbhar Bharat का चयन किया गया है।

उक्त आलोक में दिनांक-20.02.2021 को विश्व सामाजिक न्याय दिवस एवं उत्पादकता सप्ताह वर्ष 2021 के अवसर पर बिहार राज्य उत्पादकता परिषद (Bihar State Productivity Council) के सहयोग से उत्पादकता सप्ताह वर्ष 2021 की थीम के अनुरूप (दिनांक-20.02.2021 (शनिवार) को विश्व सामाजिक न्याय दिवस (World day of Social Justice) एवं* उत्पादकता सप्ताह वर्ष 2021 के अवसर पर आत्मनिर्भर भारत अभियान व दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के परिपोषण में दिव्यांगजनों के लिए नियोजन व स्वनियोजन के अवसरों में विस्तार हेतु इनके उत्पादकता वृद्धि एवं अनुषंगी विषयों पर बिहार राज्य उत्पादकता परिषद के सहयोग से) एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है।

अतः अनुरोध है कि आत्मनिर्भर भारत के परिपोषण में दिव्यांगजनों की उत्पादकता एवं प्रबंधन विषय पर आयोजित उक्त कार्यशाला में भाग लेकर इसकी सफलता में आवश्यक सहयोग प्रदान करने की कृपा की जाए।

आयोजन - उत्पादकता सप्ताह वर्ष 2021
आयोजन की तिथि - दिनांक-20.02.2021 (शनिवार)
समय - पूर्वा० 11:00 बजे से अप० 02:00 बजे
आयोजन स्थल - राज्य आयुक्त निःशक्तता कार्यालय
पता-सिंचाई भवन, पुराना सचिवालय (गेट नं०-4), पटना।

विश्वासभाज

(डा० शिवाजी कुमार)
राज्य आयुक्त निःशक्तता, बिहार
फोन नं०-0612-2215041,
email-scdisability2008@gmail.com
www.scdisabilities.org